संख्या:1294 /XIX-1/मि0ते0आवं0/2011-112/2002

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2012

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई , अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 **P–21016/03/2012, दिनांक 02 जुलाई 2012** के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0– जी0 आई0 –41 / 29 –7 –53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई,1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012–13 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई , अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक–1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार **कुल 3002** के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों मे नही लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण सस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा **"थ्री स्टेज चैकिंग"** करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शत्प्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डो पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे। माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012 हेतु आवंटित मिटटी तेल में से आई0ओ0सी0 का 34 के0एल0 प्रतिमाह की दर से 102 के0एल0 मिट्टी तेल रिजर्व में रखा गया है, जिसे पृथक से आवंटित किया जायेगा।

6. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकें।

7. द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान 15 अगस्त 2012 एवं अगस्त तथा सितम्बर 2012 हेतु आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें! आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेंसियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल के कोटे में निरन्तर कटौती कर रही है। इसके दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेंसिया हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्याः 1215(1)/XIX/मि0ते0आवं0/2011–112/खाद्य/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई0ओ0सी0, बी0पी0सी0, एच0पी0सी0 कम्पनी उत्तराखण्ड ।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमांऊ संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0मंत्री जी,खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
सचिव

जनपदवार आवंटन, माह, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2012

जिला कोड	जिलो का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	138	44	-	94
2	चमोली	174	-	-	174
3	रूद्रप्रयाग	84	-	-	84
4	टिहरी गढ़वाल	184	-	-	184
5	देहरादून	386	12	96	278
6	पौड़ी गढ़वाल	297	-	-	297
7	पिथौरागढ़	216	36	18	162
8	बागेश्वर	70	70	-	-
9	अल्मोड़ा	238	-	48	190
10	चम्पावत	82	9	-	73
11	नैनीताल	379	33	72	274
12	उधमसिहं नगर	392	132	32	228
13	हरिद्वार	362	60	82	220
	कुल योग	**3002**	**396**	**348**	**2258**

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्या: 962/XIX-[illegible]/[illegible]/2011-112/2002

प्रेषक,

[illegible]

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग देहरादून: दिनांक 22 जून, 2012

विषय:— सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु मासिक मिट्टी तेल का अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 P—4191/[illegible] दिनांक 05 जून 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0— जी0 [illegible] —41 [illegible] 29 —7 —53 (के0आ0) दिनांक 09 जुलाई,1991 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012—13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु अतिरिक्त आवंटन का जनपदवार/[illegible]/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार-उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक—1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार कुल 504 के0एल0 मासिक की दर से कुल 1512 के0एल0 मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। [illegible] में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों में नही लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा **"थ्री स्टेज चैकिंग"** करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शत्प्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डो पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

6. जनपदवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकें।

7. प्रथम त्रैमास, अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु अतिरिक्त आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण माह 31 जुलाई 2012 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल के कोटे में निरन्तर कटौती कर रही है। इसके दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित

करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेंसिया हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या: 962(1)/XIX/नि0आ0 [illegible]/2011-112/खाद्य/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को अतिरिक्त आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने साथ ही पूर्व में माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 में आवंटित मिट्टी तेल का अप्रैल, मई में टैंक लॉरियों की हड़ताल के कारण उठान नही हो पाया। अतः अप्रैल मई के कोटे का उठान जून 2012 में कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई0ओ0सी0, बी0पी0सी0, एच0पी0सी0 कम्पनी उत्तराखण्ड ।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमांऊ संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0मंत्री जी,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

जनपदवार अतिरिक्त आवंटन, माह अप्रैल, मई एवं जून 2012

क्रम सं०	जिले का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	78	24	-	54
2	चमोली	100	-	-	100
3	रूद्रप्रयाग	40	-	-	40
4	टिहरी गढ़वाल	80	-	-	80
5	देहरादून	160	10	40	110
6	पौड़ी गढ़वाल	200	-	-	200
7	पिथौरागढ़	110	30	10	70
8	बागेश्वर	30	30	-	-
9	अल्मोड़ा	126	-	10	116
10	चम्पावत	100	10	-	90
11	नैनीताल	190	20	30	140
12	ऊधमसिंह नगर	170	34	56	80
13	हरिद्वार	128	34	34	60
	कुल योग	**1512**	192	180	**1140**

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्याः 753/XIX-1/मि0ते0आवं0/2011-112/2002

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग   देहरादूनः 17 दिनांक मई, 2012

विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 **P**–4192/एस0के0ओ0, दिनांक 31 मार्च 2012 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0– जी0 आई0 –41 / 29 –7 –53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई,1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक–1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार **कुल 2952** के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों मे नही लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण सस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "**थ्री स्टेज चैकिंग**" करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शतप्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 05 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 07 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डो पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे। माह अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु आवंटित मिटटी तेल में से बी0पी0सी0 का 19 के0एल0 प्रतिमाह की दर से 57 के0एल0 तथा आई0ओ0सी0 का 65 के0एल0 प्रतिमाह की दर से 195 के0एल0 मिट्टी तेल रिजर्व में रखा गया है, जिसे पृथक से आवंटित किया जायेगा।

6. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकें।

7. प्रथम त्रैमास, अप्रैल, मई एवं जून 2012 हेतु आवंटित, मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाय।

8. आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को इसी माह में उठान के लिए तत्काल एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।

9. किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल के कोटे में निरन्तर कटौती कर रही है। इसके दृष्टिगत जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर से यह अनुश्रवण कर लें कि ऐसी कितनी एजेंसिया हैं, जो विगत 03 माह से आवंटित कोटे का उठान नहीं कर पा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्याः 753 (1)/XIX/मि0ते0आवं0/2011–112/खाद्य/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. एरिया मैनेजर, आई0ओ0सी0, बी0पी0सी0, एच0पी0सी0 कम्पनी उत्तराखण्ड ।
7. संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल/कुमांऊ संभाग हल्द्वानी/देहरादून।
8. नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/हल्द्वानी।
10. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0मंत्री जी,खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. सेल्स मैनेजर, आई0ओ0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
सचिव

जनपदवार आवंटन, माह, अप्रैल, मई एंव जून 2012

ज़िला कोड	ज़िले का नाम	मासिक आवंटन	BPC	HPC	IOC
1	उत्तरकाशी	112	12	-	100
2	चमोली	160	-	-	160
3	रूद्रप्रयाग	84	-	-	84
4	टिहरी गढ़वाल	188	-	-	188
5	देहरादून	378	14	100	264
6	पौड़ी गढ़वाल	283	-	-	283
7	पिथौरागढ़	193	27	18	148
8	बागेश्वर	75	75	-	-
9	अल्मोड़ा	248	-	48	200
10	चम्पावत	78	12	-	66
11	नैनीताल	381	33	70	278
12	उधमसिहं नगर	390	134	20	236
13	हरिद्वार	382	70	92	220
	कुल योग	**2952**	**377**	**348**	**2227**

(सुबर्द्धन)
सचिव
17/5/12